प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7203 वर्ष 2010

याचिकाकर्ता: अनिल कुमार बंसल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 329 / 2011

याचिकाकर्ता: अरुण कुमार साहू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7231/ 2010

याचिकाकर्ता: अनिल कुमार बंसल एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एवं

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7258/2010

याचिकाकर्ता: मोहम्मद इरफान खान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश

22 अक्टूबर**, 2013** को सूचीबद्ध करे

सही /-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7203 वर्ष 2010

याचिकाकर्ता: अनिल कुमार बंसल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 329 / 2011

याचिकाकर्ता: अरुण कुमार साहू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7231/ 2010

याचिकाकर्ता: अनिल कुमार बंसल एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एवं

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7258/2010

याचिकाकर्ता: मोहम्मद इरफान खान

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थिति:

श्री अमित शर्मा एवं श्री वैभव शुक्ला, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता। श्री वा ईएस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादीगण -राज्य की ओर से एवं श्री बी.डी. गुरु, उत्तरवादीगण -छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

22 अक्टूबर**, 2013** को प्रस्तुत किया गया

1. इस समान आदेश के द्वारा, पूर्वोक्त चार रिट याचिकाओं का निर्णय किया जा रहा है क्योंकि इनमें एक ही विज्ञापन से उत्पन्न समान तथ्यों पर आधारित एक जैसे **विवाधक** शामिल हैं, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग- "अ" (संक्षेप में "सी.एम.ओ. ग्रेड-ए") और मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग- "ब" (संक्षेप में "सी.एम.ओ. ग्रेड-बी") के पद पर चयन और नियुक्ति के मामले से संबंधित हैं।

2. इन याचिकाओं को जन्म देने वाले विवाद की उत्पत्ति, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के अभिवचनों में वर्णित तथ्यात्मक विवरण से स्पष्ट होता है, यह है कि उत्तरवादीगण क्रमांक 2/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "लोक सेवा

आयोग") ने विज्ञापन क्रमांक 02/2010/परीक्षा/दिनांक 30 अप्रैल, 2010 जारी किया था, जो 5 मई, 2010 के रोजगार और नियोजन संस्करण में प्रकाशित हुआ था। इसमें सी.एम.ओ. ग्रेड-ए और सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सी.एम.ओ. ग्रेड-ए के 19 पदों में से दो पद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे, जिनमें से एक पद अनारक्षित और एक पद अनुसूचित जाति के लिए था। सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के 19 पदों में से दो पद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे, जिनमें से एक अनारक्षित और एक अनुसूचित जाति के लिए था। विज्ञापन की खंड -4 में आयु के संबंध में नियम और शर्तें निर्धारित की गई थीं और इसमें विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान करने वाले विभिन्न प्रावधान शामिल थे। नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवारों को 11 जून, 2010 तक आवेदन जमा करना आवश्यक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. जबकि मामला इसी स्थिति में था, दैनिक भास्कर बिलासपुर के शुक्रवार संस्करण दिनांक 3 दिसंबर, 2010 में एक शुद्धि पत्र दिनांक 30 नवंबर, 2010 {रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 329/11 में अनुलग्नक पी -5 के रूप में संलग्न} प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा एक नई खंड 4.1.12 जोड़ी गई थी। उस खंड में यह प्रावधान किया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 फरवरी, 1981 और 30 जून, 1981 के अनुसार, सी.एम.ओ. ग्रेड-बी

के पद पर नियुक्ति के मामले में मूल निवासी शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

4. पूर्वोक्त रिट याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ इस अभिवचन पर ये रिट याचिकाएं दायर कीं कि वे सभी शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के थे। विज्ञापन, जैसा कि मूल रूप से प्रकाशित किया गया था, उसमें आयु में छूट का कोई प्रावधान नहीं था। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, 30 नवंबर, 2010 का शुद्धि पत्र पहली बार 3 दिसंबर, 2010 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के पक्ष में नई आयु छूट खंड जोड़ी गई थी। लेकिन, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उन सभी उम्मीदवारों से, जो याचिकाकर्ताओं सहित पात्र हो गए थे, सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के पद के लिए आवेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया क्योंकि शुद्धि पत्र में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के उस संपूर्ण वर्ग से आवेदन आमंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं था जो आयु के नए शिथिल मानदंडों के आधार पर बाद में पात्र हो गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. संबंधित याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि प्रारंभ में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को आयु में छूट देने वाली कोई खंड नहीं थी। उस स्तर पर, विज्ञापन के तहत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर लेने के कारण याचिकाकर्ता पात्र नहीं थे। हालांकि, एक बार जब शुद्धि पत्र जारी करके शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को आयु में 10 वर्ष की छूट प्रदान

कर दी गई, तो चयन एजेंसी का यह दायित्व था कि वह उन शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करे जो शुद्धि पत्र के माध्यम से आयु छूट खंड 4.1.12 जोड़े जाने के बाद अब पात्र हो गए थे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के अनुसार, पद के लिए आवेदन करने का अवसर दिए बिना आयु में छूट प्रदान करना, शारीरिक रूप से विकलांगों की एक ही श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को समान अवसर से वंचित करने के समान है। शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया गया जिन्होंने किसी छूट खंड की अनुपस्थिति में पहले ही आवेदन कर दिया था। मूल विज्ञापन में, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर याचिकाकर्ताओं के पास आवेदन करने का कोई अवसर नहीं था। विज्ञापन के नियमों और शर्तों में संशोधन करके छूट प्रदान करते समय, उत्तरवादीगण को एक साथ शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है। अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने वेदांग तालुकदार बनाम सैफुल्ला खान ***(2011) 12*** एससीसी ***85,*** स्वर्ण लता बनाम भारत संघ और अन्य ***(1979) 3*** एससीसी ***165,*** राजस्थान राज्य बनाम हितेंद्र कुमार भट्ट एआईआर ***1998*** एससी ***971*** और के***.*** शेखा बनाम वी***.*** इंदिराम्मा ***(2002) 3*** एससीसी ***597*** के मामलों में निर्णयों पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने याचिकाओं का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विज्ञापन में आवश्यक रूप से यह उल्लेख किया गया था कि विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार सरकारी परिपत्रों और समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आयु में छूट के पात्र होंगे। तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य ने दो परिपत्र, अर्थात् दिनांक 12.2.1981 और 30.6.1981 जारी किए थे, जिनमें शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में 10 वर्ष की छूट प्रदान करने का प्रावधान था। यह पिछले कई वर्षों से सभी को व्यापक रूप से ज्ञात था। याचिकाकर्ताओं को सरकार की उन नीतियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए था। भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी निर्देश प्रभावी थे और इसलिए, उन्हें विज्ञापन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। उन परिपत्रों का विवरण देना आवश्यक नहीं था जिनके तहत शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार आयु छूट के हकदार थे। ऐसे कई में उम्मीदवार थे जो सतर्क थे और राज्य की नीति के तहत आयु छूट के प्रावधान के बारे में जानते थे और उन्होंने वास्तव में आवेदन किया था। इसलिए, याचिकाकर्ता किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं। विशेष रूप से, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 329/11 में याचिकाकर्ता अरुण कुमार साहू अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हैं और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रदान की गई आयु छूट के बिना भी, वह अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए लागू शिथिल आयु सीमा के मानदंडों के भीतर और पात्र थे,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं किया। इसलिए, अरुण कुमार साहू की याचिका सद्भावनापूर्ण नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि विज्ञापन को न केवल परिपत्रों के साथ, बल्कि ओ.एम.आर. फॉर्म के साथ भी पढ़ा जाना आवश्यक है, जिसने स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों को उपयुक्त खंड के तहत छूट का दावा करने का अवसर दिया था। यदि याचिकाकर्ता वास्तविक उम्मीदवार होते, तो उन्हें अपने संबंधित आवेदन पत्र भरने चाहिए थे और आयु छूट का दावा करना चाहिए था कि वे शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की श्रेणी में आते हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनिल कुमार बंसल ने आवेदन पत्र जारी करने और परीक्षा के पुन: निर्धारण की मांग करते हुए रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7203/10 दायर की थी, लेकिन बाद में, उन्होंने एक और रिट याचिका अर्थात् रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7231/10 दायर की, जिसमें आवेदन पत्र पर विचार करने, प्रवेश पत्र जारी करने और परीक्षा के पुन: निर्धारण का निर्देश देने की प्रार्थना की गई, बिना उस परीक्षा को चुनौती दिए जो याचिका के लंबित रहने के दौरान पहले ही आयोजित की जा चुकी थी। इसलिए, इन सभी कारणों से, रिट याचिकाकर्ताओं के आग्रह पर चयन की प्रक्रिया को दी गई चुनौती खारिज किए जाने योग्य है, विशेष रूप से जब परीक्षाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं और धोखाधड़ी, कदाचार या गलत हेतुक के कोई आरोप नहीं हैं जो चयन की पूरी प्रक्रिया को दूषित करते हों। वैकल्पिक रूप से, यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि कुछ अनियमितताएं पाई भी गई हैं, तो इसका प्रभाव चयन की पूरी प्रक्रिया को दूषित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने वाला नहीं होता है क्योंकि सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के केवल दो पद शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे, जिनमें से एक अनारक्षित श्रेणी के लिए और दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदान किया गया है। सभी रिट याचिकाकर्ता या तो अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित श्रेणी के हैं। इसलिए, चयन की पूरी प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने मलिक मजहर सुल्तान बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ***(2006) 9*** एससीसी ***507,*** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाम पारसनाथ तिवारी ***(2006) 9*** एससीसी ***670,*** भारत संघ एवं अन्य बनाम राजेश पी.यू. पुथुवलनिकाथु एवं अन्य ***(2003) 7*** एससीसी ***285*** और राजेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**,** जजमेंट टुडे ***2013 (4)*** एससी ***1*** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. दिनांक 30 अप्रैल, 2010 के विज्ञापन में सी.एम.ओ. ग्रेड-ए और सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वर्तमान मामला केवल सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लाभ हेतु नई आयु छूट खंड जोड़े जाने से संबंधित विवाद के इर्द-गिर्द घूमता है, जैसा कि शुद्धि पत्र से स्पष्ट है। इसलिए, चुनौती का दायरा सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के पद के चयन से आगे नहीं जाता है। दूसरे, रिट याचिकाओं

में चुनौती का आधार केवल वहीं तक सीमित है जहाँ शुद्धि पत्र के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट प्रदान की गई है।

सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के 19 पदों में से दो पद शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। इन दो पदों में से, एक पद अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित है जबकि दूसरा अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए निर्धारित है। इसलिए, विवाद आगे इस बात तक सीमित है कि क्या शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया अवैध है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दिनांक 30 अप्रैल, 2010 के मूल विज्ञापन की खंड -4 के अंतर्गत आयु में छूट के संबंध में विस्तृत प्रावधान शामिल थे। यह प्रावधान किया गया था कि वे उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने दिनांक 1.1.2011 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, लेकिन 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष तक थी। इसमें स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में यह भी प्रावधान किया गया था कि अधिकतम आयु सीमा में छूट खंड 4.1 से खंड 4.1.11 के अनुसार दी जाएगी, साथ ही अंत में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी संलग्न की गई थी। विभिन्न उप-खंड के तहत, विज्ञापन में उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु में छूट का विशेष रूप से प्रावधान किया गया

था, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आकस्मिकता और कार्य-भारित वेतनभोगी कर्मचारी, छंटनी किए गए कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक/महिलाएं, शिक्षाकर्मी, स्वयंसेवी होमगार्ड एवं गैर-कमीशन अधिकारी, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाएं, ग्रीन कार्ड धारक, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत जीवनसाथी और उप-खंड 4.1.11 में वर्णित अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल थे। इस प्रकार, विज्ञापन में ही अत्याधिक संख्या में श्रेणियों के संबंध में आयु में छूट का विस्तृत प्रावधान दिया गया था। हालांकि, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट देने का कोई विशिष्ट प्रावधान न तो स्पष्ट रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ के रूप में मौजूद था। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि खंड -4 के साथ संलग्न महत्वपूर्ण टिप्पणी के तहत यह निहित था कि सरकार द्वारा आयु में छूट दी गई किसी भी अन्य श्रेणी को भी ऐसी छूट का अधिकार होगा, प्रावधान के अवलोकन मात्र से स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह टिप्पणी केवल उन्हीं के संबंध में स्पष्टीकरण देती थी जिनके लिए दिनांक 16.9.2008 के परिपत्र के विशिष्ट संदर्भ में पहले से ही छूट प्रदान की गई थी, और कुछ नहीं। इसलिए, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि विज्ञापन, जैसा कि वह मूल रूप से था, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट प्रदान नहीं करता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. 3 दिसंबर, 2010 को प्रकाशित 30 नवंबर, 2010 के शुद्धि पत्र के माध्यम से यह पहली बार हुआ कि खंड 4.1.11 के बाद एक पूरी तरह से नई खंड 4.1.12 जोड़ी गई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिनांक 12.2.1981 और दिनांक 30.6.1981 के दो परिपत्रों का हवाला देते हुए पहली बार शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के पक्ष में 10 वर्ष की आयु छूट का प्रावधान किया गया। उस समय तक, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, यह छूट केवल सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के पद पर नियुक्ति के मामले में प्रदान की गई थी। विज्ञापन के नियमों और शर्तों में संशोधन और नई आयु छूट खंड जोड़े जाने का प्रभाव यह हुआ कि वे सभी शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार, जो सामान्य रूप से सभी उम्मीदवारों पर लागू ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुके थे और मूल विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पात्र नहीं थे, लेकिन 10 वर्ष की शिथिल आयु सीमा के भीतर थे, अब पात्र हो गए। हालांकि, शुद्धि पत्र में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उन सभी उम्मीदवारों को अवसर प्रदान नहीं किया गया जो शिथिल मानदंडों के अनुसार आयु सीमा के भीतर थे। यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में विज्ञापन में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को आयु में छूट देने की कोई शर्त नहीं थी,लेकिन बाद में, वर्ष 1981 में जारी दो परिपत्रों के बारे में पता चलने पर लोक सेवा आयोग को यह अहसास हुआ कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार भी 10 वर्ष तक की आयु छूट के पात्र हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हालांकि, आयु में छूट के मानदंडों में संशोधन करते समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने उन सभी व्यक्तियों को कोई अवसर प्रदान नहीं किया, जो शुद्धि पत्र के प्रकाशन की तिथि से उचित समय के भीतर आवेदन करने के पात्र हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के रूप में सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के अवसर से बाहर रखने का अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है, और यह केवल उन लोगों के लिए संयोगवश लाभदायक रहा जिन्होंने शुरू में पात्र न होते हुए भी, किसी आशा या दावे के तहत आवेदन पत्र जमा कर दिए थे। इसलिए, शिथिल मानदंडों के तहत पात्र होने वाले शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के संपूर्ण वर्ग को अवसर प्रदान न करने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. कार्यवाही का उचित तरीका यह होना चाहिए था कि एक बार जब शुद्धि पत्र के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में 10 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय ले लिया गया था, तो उचित समय के भीतर शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करके अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके, उत्तरवादीगण ने संबंधित याचिकाकर्ताओं और उन सभी उम्मीदवारों को वंचित कर दिया, जो पात्र तो थे लेकिन आवेदन नहीं कर सके क्योंकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पहले

ही समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार, उचित प्रकाशन के बिना विज्ञापन की शर्त में ढील देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के अधिदेश का उल्लंघन है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वेदांग तालुकदार, स्वर्ण लता, राजस्थान राज्य और के. शेखर (पूर्वोक्त) के मामलों में निर्धारित किया गया है।

13. यह सत्य है कि रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 329/11 में रिट याचिकाकर्ता- अरुण कुमार साहू अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हैं और वह शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार के रूप में आयु छूट का लाभ मांगे बिना भी 5 वर्ष तक की आयु छूट के हकदार थे, लेकिन उत्तरवादीगण की कार्यवाही को चुनौती न केवल अरुण कुमार साहू की ओर से दी गई है, बल्कि रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7285/10, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7203/10 और 7231/10 के अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा भी दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि दिनांक 12.2.1981 और दिनांक 30.6.1981 के परिपत्रों में दिए गए शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट के प्रावधान को दिनांक 30.4.2010 के मूल विज्ञापन में पढ़ा जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे दो परिपत्र केवल कार्यकारी निर्देश हैं न कि "विधि "। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता शासी वैधानिक नियमों में निहित किसी भी ऐसे प्रावधान का उल्लेख करने में विफल रहे जो शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के पक्ष में आयु छूट का

प्रावधान करता हो। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ चयन/आयु छूट का मानदंड शासी नियमों के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित किया गया था और इसलिए उसे मूल विज्ञापन का हिस्सा माना जाना आवश्यक था। ओ.एम.आर. फॉर्म पर जताया गया भरोसा भी उतना ही गलत है। ओ.एम.आर. फॉर्म को विज्ञापन की खंड -4 में विस्तृत रूप से दिए गए आयु छूट मानदंडों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि यदि विज्ञापन के तहत आयु में कोई छूट नहीं दी गई है, तो ओ.एम.आर. फॉर्म भरते समय कोई उम्मीदवार उस आयु छूट की मांग करने का हकदार है, जो विज्ञापन में प्रदान ही नहीं की गई है। यह अतिरिक्त तर्क कि उम्मीदवारों को सतर्क रहना चाहिए था और 1981 के दो परिपत्रों के तहत छूट का दावा करना चाहिए था, स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे शुरुआत में ही खारिज किया जाना चाहिए। विज्ञापन की खंड -4 के तहत आयु में छूट प्रदान करने वाली श्रेणियों की विस्तृत सूची और विशिष्ट नियमों एवं शर्तों को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के पास आवेदन करने का कोई अवसर नहीं था। यह तभी हुआ जब विज्ञापन में एक नई खंड जोड़ी गई, जो अब विशेष रूप से पहली बार शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के पक्ष में आयु छूट प्रदान करती थी, जिससे याचिकाकर्ता व्यथित महसूस करने लगे क्योंकि शुद्धि पत्र के तहत आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए थे और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मूल विज्ञापन के उत्तर में आवेदन जमा करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों की क्रमांक से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संबंधित तथ्यों और आंकड़ों पर बहुत जोर दिया गया है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वह याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादीगण की कार्रवाई को चुनौती देने से वंचित नहीं करेगा। हो सकता है कि शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के कुछ उम्मीदवारों ने आवेदन किया हो, लेकिन तथ्य यही रहता है कि विज्ञापन, जैसा कि वह मूल रूप से था, उसमें शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के पक्ष में आयु छूट से संबंधित कोई मानदंड शामिल नहीं था।

15. यह अन्य तकनीकी तर्क कि रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7203/11 में रिट याचिकाकर्ता-अनिल कुमार बंसल ने दो रिट याचिकाएं दायर कीं, लेकिन पहले से आयोजित परीक्षा को चुनौती नहीं दी, शुरुआत में ही खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि अनिल कुमार बंसल ने सबसे पहले अवसर पर रिट याचिका क्रमांक 7302/10 दायर की थी, जब उत्तरवादीगण ने शुद्धि पत्र के माध्यम से आयु के मानदंडों में ढील दी थी और उन लोगों को अवसर दिए बिना परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़े थे, जो शिथिल मानदंडों के तहत पात्र हो गए थे। इस न्यायालय ने दिनांक 8.12.2010 को आदेश पारित कर निर्देशित किया था कि याचिका के लंबित रहने के दौरान किया गया चयन रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगा। इसलिए, यह तर्क कि दूसरी रिट याचिका में परीक्षा को कोई विशिष्ट चुनौती नहीं दी गई है, याचिका की पोषणीयता को प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7231/10 के अभिवचनों और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिवचन एवं आधार के संदर्भ में की गई प्रार्थना के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयन की संपूर्ण प्रक्रिया चुनौती के अधीन थी।

16. इसलिए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सी.एम.ओ.) ग्रेड-बी के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया आयोजित करने की उत्तरवादीगण की कार्रवाई अवैध, मनमानी, अनुचित और भेदभावपूर्ण है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन है।

17. साथ ही, उत्तरवादीगण द्वारा की गई अवैधता सी.एम.ओ. ग्रेड-ए के पद पर नियुक्ति के लिए संपूर्ण चयन प्रक्रिया को या उस मामले में सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के 19 पदों में से 17 पदों को दूषित नहीं करती है। केवल शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित दो पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ही अवैध पाई गई है। उस सीमा तक, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में काफी बल है। भारत संघ (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित सी.एम.ओ. ग्रेड-बी के दो पदों के विरुद्ध परीक्षा आयोजित करने और चयन सूची तैयार करने या नियुक्ति करने की उत्तरवादीगण की कार्रवाई को अवैध घोषित किया जाता है और एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। उत्तरवादीगण के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वे नया विज्ञापन जारी करें या विकल्प के रूप में, शारीरिक रूप से विकलांग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्रेणी के उम्मीदवारों से नए आवेदन आमंत्रित करें और चयन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनकी योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करें।

18. तदनुसार सभी चारों रिट याचिका (सेवा) को ऊपर बताए गए तरीके और सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

19. वाद व्यय संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही /-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा ति वा री